

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 10361

दिनांक:- 19/12/2025

आदेश संख्या:- 469/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को पब्लिक फाईनैशियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (PFMTI), जयपुर के तत्वाधान में महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में दिनांक 22.12.2025 से 29.01.2026 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के पांच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 22.12.2025 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

S.No.	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office
1.	2.	3.	4.
1.	742401	SANDEEP KUMAR	INCHARGE I.C. PARTY - 99906, INSPECTION, JAIPUR
2.	742759	POOJA BAIRWA	CE - 801, WATER RESOURCES, JAIPUR, JAIPUR
3.	742822	ADITI PRADHAN	ADDL. DIRECTOR (B.P. LAB) - 24, ANIMAL HUSBANDRY, JAIPUR, JAIPUR
4.	742841	MANISH KUMAR MEENA	DIRECTOR - 904, PENSION AND PENSIONERS WELFARE, JAIPUR, JAIPUR
5.	744338	AMIT KUMAR MEENA	TEHSILDAR MADHORAJPURA JAIPUR (8001998)
6.	748894	RITIK SHANDILYA	TREASURY OFFICER - 1119, TREASURIES AND ACCOUNTS, KARauli, KARauli
7.	750593	ABHISHEK DAYAMA	DIRECTOR RPA - 13951, HOME DEPARTMENT, JAIPUR
8.	755890	LOKENDRA SINGH NARUKA	X. EN DISTRICT DIV III (RURAL) - 6318, PHED, DUDU, JAIPUR
9.	756221	HARI MOHAN MEENA	X. EN RMC II - 24680, CAD AND ADP DEPARTMENT, ANTA, BARAN
10.	761652	BHAWANA DADHICH	COMMISSIONER - 353, COMMERCIAL TAXES, JAIPUR
11.	766758	SUNITA CHOUDHARY	IG CID (COMPUTER / SCRB) - 22292, HOME DEPARTMENT, JAIPUR, JAIPUR
12.	767716	MUNEERAJ MEENA	TREASURY OFFICER - 1094, TREASURIES AND ACCOUNTS, BARAN, BARAN

उक्त प्रशिक्षण की अवधि पांच सप्ताह की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा एवं प्रतिदिन 06 व्याख्यान (लेक्चर) होंगे। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्णतः गैर-आवासीय है। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्याह्न भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। किन्तु क्रम संख्या 6,9 एवं 12 पर अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर मनोनयन किये जाने के कारण मील भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को निदेशालय स्तर से दिनांक 19.12.2025 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 22.12.2025 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है इसलिए किसी प्रकार का शिथिलन दिया जाना संभव नहीं है।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

सभी कनिष्ठ लेखाकारों को निर्देशित किया जाता है कि TPMS के Online Training (MOOC) पर "Foundation Course on Public Procurement" को भी प्रशिक्षण अवधि में पूर्ण करें।

10271
19/12/2025
(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III /10361

दिनांक:- 19/12/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
4. पाठ्यक्रम निदेशक/प्रभारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
6. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

Yashna
(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)